

## भूमि बैंक बनाने के लिये नीति

### चर्चा में क्यों?

5 अगस्त, 2021 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई, मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी परियोजनाओं के लिये भूमि अधिग्रहण की कठिन प्रक्रिया से बचते हुए प्रदेश में भूमि बैंक बनाने की सरकार की नीतिको मंजूरी दी गयी।

### प्रमुख बंदि

- इस नीतिको 'बोर्डों एवं नगिमों सहति सरकारी परियोजनाओं के लिये भूमि बैंक सृजति करने और वकिस परियोजनाओं के लिये उनका नपिटान नीतिकहा जाएगा।
- इस नीतिके लिये तीन समतियां भूमि एवं दर जाँच समति, भूमि बैंक समति और उच्चाधिकार प्राप्त भूमि बैंक समतिकि गठन कयिा जाएगा।
- इस नीतिके अनुसार, अब कसिान सहति अन्य लोग मजबूरी में नहीं बल्कि मोलभाव कर सीधे सरकार को अपनी जमीन बेच सकेंगे। राजस्व वभिाग इस भूमि बैंक को संभालेगा और जरूरत के अनुसार नगिमों, बोर्डों या वभिागों को हस्तांतरति करेगा।
- कसिान को जमीन बेचने के लिये नदिशक भूमि अभलिख के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इसके लिये उन्हें मूल्य सहति भूमिकि पूरा वविरण देना होगा।
- राजस्व वभिाग द्वारा अपनी परियोजनाओं के लिये नगर पालकिा सीमा के भीतर और उससे दो मील की दूरी तक बनाने को इसे सरकारी वभिागों को स्थानांतरति कयिा जा सकेगा।
- बोर्डों और नगिमों सहति सभी वभिाग ऐसी भूमिकि पता लगाने का प्रयास करेंगे, जो 'शामलात देह में हों। इस जमीन का इस्तेमाल सरकारी कार्यालय स्थापति करने में हो सकेगा।
- हरयिाणा नगर पालकिा अधनियिम, 1973 और हरयिाणा नगर नगिम अधनियिम, 1994 के तहत अचल संपत्तिको राज्य सरकार को हस्तांतरति करने का प्रावधान है। ऐसे में ऐसी जमीन की भी तलाश की जाएगी।